भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5715

जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में पोक्सो और एफटीएससी मामले

†5715. श्री डग्गुमल्ला प्रसाद राव :

श्री बस्तीपति नागाराजू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में दर्ज पोक्सो मामलों की कुल संख्या का वर्ष-वार और आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत पांच वर्षों में निपटाए गए पोक्सो मामलों की कुल संख्या का, आंध्र प्रदेश सहित वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) एफटीएससी योजना के अंतर्गत देश में स्वीकृत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की कुल संख्या क्या है और वर्तमान में कार्यरत न्यायालयों की राज्य-वार संख्या क्या है ;

(घ) एफटीएससी योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से लेकर अब तक स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) आंध्र प्रदेश में स्थापित फास्ट ट्रैक न्यायालयों (एफटीएससी) का ब्यौरा क्या है, जिसमें गत पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक फास्ट ट्रैक न्यायालय को जारी की गई कुल धनराशि तथा प्रत्येक न्यायालय द्वारा निस्तारित पोक्सो अधिनियम के मामलों की संख्या का वर्ष-बार और न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार तारीख 31 जनवरी, 2026 तक 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 398 अनन्य पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालयों सहित 774 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय क्रियाशील थे । फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी)

स्कीम के अधीन अनन्य पोक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों द्वारा रजिस्ट्रीकृत और निपटाए गए मामलों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	दर्ज मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
2023	81,471	76,319
2024	88,902	85,595
2025	1,43,936	66,500
2026 (31.01.2026 तक)	11,790	5,725

एफटीएससी स्कीम के शुभारंभ से ही, इस स्कीम के अधीन अनन्य पोक्सो न्यायालयों द्वारा रजिस्ट्रीकृत और निपटाए गए पोक्सो मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों वार कुल संख्या **उपाबंध-1** में दी गई है ।

आंध्र प्रदेश राज्य में वर्ष 2023 से अनन्य पोक्सो न्यायालयों द्वारा रजिस्ट्रीकृत और निपटाए गए पोक्सो मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	दर्ज पोक्सो मामलों की संख्या	निपटाए गए पोक्सो मामलों की संख्या
2023	2,263	2,360
2024	1,419	2,138
2025	2,159	2,701
2026 (31.01.2026 तक)	98	215

(ग) : फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्कीम के अधीन देश में स्वीकृत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की कुल संख्या और तारीख 31 जनवरी, 2026 तक वर्तमान में कार्यरत न्यायालयों की संख्या का विवरण **उपाबंध-2** में दिया गया है।

(घ) : फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्कीम के अधीन धनराशि केंद्र प्रायोजित स्कीम के पैटर्न (केंद्र का हिस्सा: राज्य का हिस्सा :: 60:40, 90:10) के अधार पर जारी की जाती है जिससे प्रति एफटीएससी एक न्यायिक अधिकारी और 7 सहायक कर्मचारियों के वेतन तथा दैनिक व्यय को पूरा करने के लिए फ्लेक्सी ग्रांट को कवर किया जा सके । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से व्यय विवरण प्राप्त होने के पश्चात् उन्हें धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है । वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, ₹200.00 करोड़ के आवंटित बजट का राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा पूर्ण उपयोग किया गया है। स्कीम के शुभारंभ से अब तक जारी केंद्रीय हिस्से की कुल धनराशि का विवरण **उपाबंध-3** में दिया गया है ।

(ङ) : आंध्र प्रदेश राज्य में इस स्कीम के अधीन 16 अनन्य पोक्सो न्यायालय कार्यरत हैं । स्कीम के शुभारंभ से अब तक आंध्र प्रदेश को ₹1.80 करोड़ की राशि जारी की गई है, क्योंकि राज्य ने स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि स्कीम प्रतिपूर्ति के आधार पर संचालित होती है, इसलिए धनराशि व्यय विवरण प्राप्त होने के बाद ही जारी की जाती है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कीम के शुभारंभ से अब तक कुल 9,137 पोक्सो मामलों का निस्तारण किया गया है ।
